संख्या-2281/77-3-10-71(अवस्थापना)/08

प्रेषक,

वी.एन.गर्ग,
प्रमुख सचिव,
उ.प्र. शासन

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. मुख्य कार्यपालक अधिकारी,यूपीडा,लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक 03 अगस्त , 2010

विषयः- "अपर गंगा नहर के दांये तट पर सनौटा ब्रिज (जिला-बुलंदशहर) से उत्तर प्रदेश-उत्तराखण्ड सीमा के पूर्व पुरकाजी (जिला-मुजफ्फरनगर) के निकट तक 08 लेन प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे एवम् लिंक एक्सप्रेसवेज (मेरठ एयरपोर्ट लिंक, देवबंद लिंक, एन0एच0-24 मसूरी लिंक एवं भविष्य में लगभग 25 कि0मी0 लम्बाई के 02 लिंक) जल विद्युत गृह (नीरगाजनी, जौली, चित्तौड़ा, सलावा, भोला, जानी एस्केप एवम् डासना) जल परिवहन एवम् लैण्ड पार्सल का विकास-क्षेत्र के सुनियोजित विकास हेतु" परियोजना।

महोदय,

अपर गंगा नहर के दांये तट पर सनौटा ब्रिज(ग्रेटर नौएडा) से उत्तर प्रदेश- उत्तराखण्ड सीमा के पूर्व पुरकाजी (जिला-मुजफ्फरनगर) के निकट तक 08 लेन प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे परियोजना के सम्बन्ध में औद्योगिक विकास अनुभाग-3, उ.प्र.शासन द्वारा समय-समय पर शासनादेश/कार्यालय-ज्ञाप/अधिसूचना जारी किये गये हैं। उक्त परियोजना की रूप-रेखा में हुए परिवर्तनों के फलस्वरूप सम्यक विचारोपरान्त परियोजना के सम्बन्ध में औद्योगिक विकास अनुभाग-3, उ.प्र.शासन द्वारा इसके पूर्व समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों/कार्यालय-ज्ञापों/अधिसूचनाओं को संशोधित करते हुए परियोजना को निम्नवत परिभाषित किये जाने तथा परियोजना में सम्मिलित कार्यों/घटकों को निम्नानुसार चिन्हित करते हुए, उनकी अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) परियोजना का नामः- "अपर गंगा नहर के दांये तट पर सनौटा ब्रिज (जिला-बुलंदशहर) से उत्तर प्रदेश-उत्तराखण्ड सीमा के पूर्व पुरकाजी (जिला-मुजफ्फरनगर) के निकट तक 08 लेन प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे एवम् लिंक एक्सप्रेसवेज (मेरठ एयरपोर्ट लिंक, देवबंद लिंक, एन0एच0-24 मसूरी लिंक एवं भविष्य में लगभग 25 कि0मी0 लम्बाई के 02 लिंक) जल विद्युत गृह (नीरगाजनी, जौली, चित्तौड़ा, सलावा, भोला, जानी एस्केप एवम् डासना) जल परिवहन एवम् लैण्ड पार्सल का विकास-क्षेत्र के सुनियोजित विकास हेतु।"

(2) परियोजना की रूपरेखाः- निम्नलिखित सुविधाओं का विकास एवं प्रबन्धन अपर गंगा कैनाल एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत होगा तथा इन सुविधाओं, संरचनाओं के समग्र विकास एवं प्रबन्धन को अपर गंगा कैनाल एक्सप्रेसवे का भाग समझा जायेगाः-

i सनौटा ब्रिज (जिला-बुलंदशहर) से पुरकाजी (जिला-मुजफ्फरनगर) के निकट उ0प्र0 एवम् उत्तराखण्ड की सीमा के पहले तक अपर गंगा कैनाल के दायें तट पर टोल शुल्क वाले प्रवेश नियंत्रित आठ मार्गीय एक्सप्रेसवे (लगभग 148 कि.मी.) एवं सर्विस मार्ग (लगभग 97 कि.मी.) सहित का विकास।

ii उपर्युक्त एक्सप्रेस वे पर एवम् इसके निकटवर्ती क्षेत्रों में छः स्थानों पर वाटर पार्क, पर्यटन, परिवहन, मार्गीय सुविधाएँ एवम् आवासीय, वाणिज्यिक विकास गतिविधियों का विकास।

iii उपर्युक्त एक्सप्रेसवे के किनारें एवं निकटवर्ती जिला गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर में उन्नीस चिन्हित स्थानों पर लगभग 1980 हेक्टेयर भूमि पर औद्योगिक, आवासीय, व्यावसायिक, सामुदायिक इत्यादि सुविधाओं का विकास (वैकल्पिक चयन की अवस्था में)।

iv अपर गंगा कैनाल का सुदृढ़ीकरण, मरम्मत एवम् विकास सनौटा ब्रिज से लेकर पुरकाजी (जिला-मुजफ्फरनगर) उ0प्र0 एवम् उत्तराखण्ड की सीमा के पहले तक।

v अपर गंगा कैनाल पर जल परिवहन तथा नेविगेशन सुविधाओं, तत्समबन्धी आवश्यक संरचनाओं एवम् सुविधाओं का विकास।

vi अपर गंगा कैनाल पर स्थित पुल एवम् रेल पुलों का उच्चीकरण एवम् विकास।

vii प्रस्तावित प्रवेश नियंत्रित आठ मार्गीय एक्सप्रेसवे से जुड़े लिंक एक्सप्रेसवे :-

(अ) मेरठ एअरपोर्ट लिंक	-	लगभग 23.5 कि.मी.
(ब) देवबंद लिंक	-	लगभग 16.5 कि.मी.
(स) मसूरी लिंक	-	लगभग 3.5 कि.मी.
(द) भविष्य में प्रस्तावित.....	}	अधिकतम 25 किमी. लम्बाई तक
(य) भविष्य में प्रस्तावित.....	}	

viii ग्राम जार्चा (जिला-गौतमबुद्धनगर) तथा सनौटा (जिला-बुलंदशहर) पर एवम् ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे से अपर गंगा कैनाल एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाले इंटरचेंजेज और परीचौक (ग्रेटर नोएडा) से जार्चा तक मास्टर प्लान रोड का निर्माण।

ix अपर गंगा कैनाल पर निरगाजनी, चित्तौड़ा, सलावा एवम् भोला, स्थानों पर वर्तमान में उत्पादनरत जल विद्युत गृहों के स्थान पर उच्चीकृत क्षमता वाले जल विद्युत गृहों का निर्माण एवम् साथ ही जौली, डासना एवम् जानी स्थानों पर चिन्हित नये जल विद्युत गृहों का निर्माण तथा वर्तमान जल विद्युत परियोजना से सम्बन्धित संरचनाओं का उपयोग।

(3) परियोजना का उद्देश्य व लाभ :-

अपर गंगा कैनाल एक्सप्रेसवे परियोजना का मुख्य उद्देश्य दिल्ली एन0सी0आर0 और हरिद्वार के मार्ग में यातायात की समस्याओं में सुधार लाना एवम् गन्तव्य स्थानों तक पहुँचने के लिए लगने वाले समय को अपेक्षाकृत कम करना है। इसके अतिरिक्त इस परियोजना से उत्तर प्रदेश राज्य के गाजियाबाद, मेरठ और मुजफ्फरनगर जनपदों में आर्थिक, सामाजिक एवम् सुनियोजित औद्योगिक एवम् नगरीय विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। परियोजना में अपर गंगा कैनाल में जल परिवहन एवम् जल विद्युत परियोजनाओं को भी सम्मिलित किया गया है जिससे क्षेत्र के विकास के अतिरिक्त प्रदूषण नियंत्रण में सहायता मिलेगी।

(4) परियोजना का मॉडलः-

परियोजना का क्रियान्वयन डी.बी.एफ.ओ.टी. मॉडल पर किया जायेगा अर्थात् विकासकर्ता द्वारा परियोजना की डिजाईन-निर्माण-वित्त पोषण-संचालन-ट्रान्सफर किया जायेगा।

(5) रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (आर0एफ0पी):-

(I) परियोजना के विकास हेतु शार्ट लिस्टेड आवेदनकर्ताओं के बिड के द्वितीय चरण में प्रतिभाग करने हेतु परियोजना के परामर्शी द्वारा तैयार किये गये **आर0एफ0पी0(ड्राफ्ट कन्सेशन एग्रीमेन्ट सहित)** प्रपत्र का उक्त पीपीपी बिड मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 06.05.2010 में सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रदान किया गया एवम् तदनुसार आर0एफ0पी0 डाक्यूमेन्ट को

दिनांक 08.05.2010 को शार्ट लिस्टेड आवेदनकर्ताओं को जारी किया गया। आर0एफ0पी0 पर शार्ट लिस्टेड आवेदनकार्ताओं के साथ विचार-विमर्श एवम् उनकी पृच्छाओं के स्पष्टीकरण हेतु तीन प्री-बिड कान्फ्रेन्स प्रथम दिनांक 12.05.2010, द्वितीय 19.05.2010 एवम् तृतीय दिनांक 26.06.2010 को नई दिल्ली में हुयी है। शार्ट लिस्टेड बिडर्स के साथ दिनांक 07.06.2010 को नई दिल्ली में बिडर मीट का भी आयोजन किया गया। तत्क्रम में आवेदनकर्ताओं को बिड मूल्यांकन समिति द्वारा स्वीकृत स्पष्टीकरण/अडेन्डम/कॉरिजेन्डम व संशोधित डाक्यूमेंट भी जारी किये गये।

(II) आर0एफ0पी0 डाक्यूमेन्ट, जिसमें निम्नलिखित डाक्यूमेन्ट सम्मिलित है, को अनुमोदित किया जाता है:-

<u>वाल्यूम 1: इंस्ट्रक्शन्स टू बिडर्स</u>
<u>वाल्यूम 2: ड्राफ्ट कन्सेशन एग्रीमेन्ट</u>
i टेक्निकल शिड्यूल्स
ii नॉन टेक्निकल शिड्यूल्स
<u>वाल्यूम 3: फिजिबिलिटी रिपोर्ट (7 भागों में)</u>
i मेन रिपोर्ट
ii ई आई ए स्क्रीनिंग रिपोर्ट
iii सोशल स्क्रीनिंग रिपोर्ट
iv नेवीगेशन फिजिबिलिटी रिपोर्ट
v एक्सप्रेसवे ड्रॉइंग्स (पार्ट-ए)
स्ट्रक्चरल ड्रॉइंग्स (पार्ट-बी)
vi हाइड्रो पॉवर प्रोजेक्ट रिपोर्ट
vii लैण्ड प्लान शिड्यूल्स

(6) <u>अपर गंगा कैनाल एक्सप्रेसवे परियोजना में निम्नलिखित घटक सम्मिलित हैं</u> :-

(I) <u>अपर गंगा कैनाल एक्प्रेसवे एवम् लिंक एक्सप्रेसवेज</u> :- एक्सप्रेसवे का विकास अपर गंगा कैनाल के दायें तट पर सिंचाई विभाग की भूमि पर किया जाना है। एक्सप्रेसवे का निर्माण 08 लेन तथा प्रवेश नियंत्रित बनाया जाना प्रस्तावित है। यह परियोजना सनौटा ब्रिज (बुलन्दशहर) से पुरकाजी (जिला मुजफ्फरनगर) के समीप, जिसकी दूरी लगभग 148 किमी0 है, तक प्रस्तावित है। एक्सप्रेसवे के निर्माण हेतु लगभग 655 हे0 सिंचाई विभाग की भूमि यूपीडा को निःशुल्क दिया जाना प्रस्तावित है और इसके लिए कोई स्टैम्प डयूटी देय नहीं होगी। इस भूमि को यूपीडा द्वारा विकासकर्ता को निःशुल्क दिया जाना प्रस्तावित है। यदि नहर से रिक्लेमेशन के बाद सिंचाई विभाग की अतिरिक्त भूमि उपलब्ध होती है तो वह भूमि भी एक्सप्रेस-वे हेतु विकासकर्ता को निःशुल्क उपलब्ध कराई जायेगी। इसके अतिरिक्त एक्सप्रेसवे निर्माण हेतु यथाआवश्यक अतिरिक्त लगभग 142 हे0 भूमि विकासकर्ता द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले धन से यूपीडा द्वारा अधिग्रहीत की जानी है। परियोजना में तीन लिंक यथा-प्रथम मसूरी से एन0एच0-24 को, द्वितीय जानी से मेरठ एयरपोर्ट तक तथा तृतीय पुरकाजी से देवबन्द तक प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त 25 किमी0 कुल लम्बाई के दो लिंक एक्सप्रेसवेज विकासकर्ता द्वारा भविष्य में बनाया जाना भी प्रस्तावित है। लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण हेतु लगभग 200 हे0 भूमि विकासकर्ता द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले धन से यूपीडा द्वारा अधिग्रहीत की जानी है। परियोजना में एक्सप्रेस-वे एवं लिंक एक्सप्रेस-वे की लम्बाई एवं संरेखण अनुमानित गणना/

प्रारम्भिक अध्ययन के आधार पर है। स्थलीय आवश्यकता एवं परिस्थितियों के आधार पर इसमें यथावश्यक परिवर्तन सम्भावित है।

(II) कंसेशनायर द्वारा एक्सप्रेस-वे से सम्बन्धित प्रवेश/निकास बिन्दु अर्थात एक्सेस पॉइण्ट्स संख्या एवम् स्थान का निर्धारण उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज् इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (यूपीडा) से विचार-विमर्श कर निर्धारित किया जा सकेगा।

(III) विकासकर्ता द्वारा एक्सप्रेस-वे के उपयोग हेतु टोल चार्ज लिया जायेगा। टोल का निर्धारण उ0प्र0 एक्सप्रेसवे (लेवी ऑफ टोल्स एण्ड फिक्सिंग ऑफ फीस एण्ड रियलाइजेशन देयर ऑफ) रूल्स 2010 के अनुसार एवम् समय-समय पर इस हेतु किये जाने वाले संशोधन के अनुसार होगा।

(7) <u>सुनिश्चित एवम् ऐच्छिक लैण्ड पार्सल्स</u>

(I) <u>सुनिश्चित लैण्ड पार्सल</u> :-विकासकर्ता को अपर गंगा कैनाल के समीप सिंचाई विभाग, उ0प्र शासन की लगभग 97.37 हे0 में फैले 6 स्थानों पर सुनिश्चित लैण्ड पार्सल्स दिया जाना प्रस्तावित है। सिंचाई विभाग की यह भूमि यूपीडा को निःशुल्क दिया जाना प्रस्तावित है और इसके लिए कोई स्टैम्प डयूटी देय नहीं होगी। परियोजना में उक्त भूमि विकासकर्ता को विकास हेतु निःशुल्क दिया जाना प्रस्तावित है। विकासकर्ता को यह भूमि 90 वर्ष की लीज अवधि पर और थर्ड पार्टी ट्रान्सफर अधिकार के साथ दिये जाने का प्रावधान है।

(II) <u>ऐच्छिक लैण्ड पार्सल:</u>- विकासकर्ता को एक निर्धारित मात्रा में भूमि के विकास के अधिकार दिया जाना प्रस्तावित है। इस भूमि की लागत विकासकर्ता को ही वहन करनी होगी और चर्यानित विकल्प के अनुसार इस भूमि का अधिग्रहण किया जायेगा। यह भूमि एक्सप्रेसवे के निकट विभिन्न स्थानों पर उपलब्ध कराई जायेगी। इसके लिए लगभग 1980 हे0 क्षेत्रफल की भूमि गाजियाबाद, मेरठ व मुजफ्फरनगर जनपदों में चिन्हित की गयी हैं जोकि परियोजना के विकासकर्ता हेतु बिडिंग फैक्टर है। विकासकर्ता को यह भूमि 90 वर्ष की लीज अवधि पर और थर्ड पार्टी ट्रान्सफर अधिकार के साथ दिये जाने का प्रावधान है। परियोजना हेतु अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि उ0प्र0एक्सप्रेस-वेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) क्षेत्र में अधिसूचित की जायेगी और ऐसी भूमि किसी विकास प्राधिकरण के क्षेत्रान्तर्गत आ रही है तो अधिसूचना के पूर्व सम्बन्धित प्राधिकरण की अनापत्ति/सहमति प्राप्त की जायेगी।

(8) <u>जल विद्युत परियोजना</u> :- अपर गंगा कैनाल पर 07 स्थानों (नीरगाजानी, चित्तौड़ा, सलावा, भोला, जौली, डासना एवम् जानी स्केप) पर जल विद्युत परियोजना प्रस्तावित है। इसमें से 5 परियोजना (नीरगाजानी, चित्तौड़ा, सलावा, भोला एवं जौली) उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0 द्वारा संचालित की जा रही है तथा 01 नई परियोजना (डासना) का संचालन नेडा द्वारा किया जाना प्रस्तावित था। शेष जानी स्केप पर जल विद्युत परियोजना की स्थापना की जानी है। ऊपरलिखित 06 स्थानों (नीरगाजानी, चित्तौड़ा, सलावा, भोला, जौली एवम् डासना) स्थित सभी जल विद्युत परियोजनाओं के लिए लगभग 30 हे0 सिंचाई विभाग की भूमि यूपीडा को निःशुल्क दिया जाना प्रस्तावित है जिस पर स्टैम्प डयूटी देय नही होगी। उक्त भूमि विकासकर्ता को निःशुल्क दिया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त जानी स्केप पर जल विद्युत परियोजना की स्थापना हेतु आवश्यक भूमि (लगभग 4 हे0) विकासकर्ता द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले धन से यूपीडा द्वारा अधिग्रहीत की जानी है। उपरलिखित सभी 07 जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना/विस्तारीकरण विकासकर्ता द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। इन 07 जल विद्युत परियोजनाओं से लगभग 37 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। इससे उत्पादित बिजली का वितरण अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत

विभाग के शासनादेश संख्या 619/45-वि0(अति0 ऊ0 स्रो0 वि0)/2010 दिनांक 14.05.2010 एवम् समय-समय पर इस हेतु संशोधन के अनुसार होगा। इस सम्बन्ध में औद्योगिक विकास अनुभाग-3 द्वारा जारी शासनादेश संख्या-835/77-3-10-71(अवस्थापना)/08,दिनांक 11.03.2010 में तत्सम्बन्धी प्राविधान इस सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

(9) <u>जल परिवहन</u> :- वित्तीय वायबिलिटी बढ़ाने के लिए परियोजना में विकासकर्ता को अपर गंगा कैनाल एक्सप्रेसवे में जल परिवहन का अधिकार भी प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। जल परिवहन से सम्बन्धित सुविधाओं के लिए लगभग 55.55 हे0 सिंचाई विभाग की भूमि यूपीडा को निःशुल्क दिया जाना प्रस्तावित है जिस पर स्टैम्प डयूटी देय नही होगी। उक्त भूमि विकासकर्ता को निःशुल्क दिया जाना प्रस्तावित है। परियोजना में विकासकर्ता को यह स्वतंत्रता होगी कि वह जल परिवहन के अधिकार के साथ बिड करे अथवा बिना जल परिवहन के अधिकार के साथ बिड करे। यदि बिडर बिना जल परिवहन के अधिकार के साथ बिड करता है तो कन्सेशनायर को यूपीडा को अनापत्ति प्रमाण-पत्र जमा करना होगा जिसके अनुसार कैनाल पर पूर्व से निर्मित पुल की डिजाइन Class II जल परिवहन के अनुसार 5 मीटर हेडरूम प्रदान करते हुए 42 माह में उसका पुर्ननिर्माण करना होगा और यूपीडा भविष्य में किसी दूसरी एजेन्सी को जल परिवहन का अधिकार देने के लिए स्वतंत्र होगी। परिवहन विभाग द्वारा फेरीस एक्ट के अन्तर्गत आवश्यक प्रावधान कराये जायेंगे। यदि कन्सेशनायर डिजायन आप्टीमाइजेशन तकनीक का प्रयोग करता है तो इस वजह से उत्पन्न अतिरिक्त लैण्ड पार्सल भूमि जल परिवहन सुविधा चयन करने वाले विकासकर्ता को निःशुल्क मिलेगी।

(10)<u>कन्सेशन/लीज पीरियड :</u> एक्सप्रेसवे टोल, जल परिवहन अधिकार एवम् जल विद्युत परियोजनाओं के लिए कन्सेशन अवधि 35 वर्ष प्रस्तावित की जा रही है तथा भूखण्डों पर विकास के अधिकार सम्बन्धी लीज अवधि, अधिकतम 90 वर्ष थर्ड पार्टी ट्रान्सफर अधिकार के साथ दिया जाना प्रस्तावित है। यह भी प्रस्तावित है कि उक्त समस्त, भूमि जिसमें एक्सप्रेस-वे एवम् भूखण्ड हेतु भूमि सम्मिलित है, समस्त विकास कार्यों सहित सम्बन्धी कंसेशन अवधि/लीज अवधि की समाप्ति के बाद कन्सेशनायर से यूपीडा को स्वतः वापस प्राप्त हो जायेगी। प्रत्येक भूखण्ड के विकास के लिए विकासकर्ता को अधिकतम 2.5 एफ0ए0आर0 दिये जाने का प्रावधान है। इसके लिए विकासकर्ता को यूपीडा द्वारा जारी ड्राफ्ट रूल्स ऑफ बिल्डिंग रेगुलेशन और समय-समय पर इसमें संशोधन के अनुसार अनुपालन करने का प्रावधान है।

(11)<u>परियोजना के अन्य ऐन्सिलरी कार्य</u>

(I) <u>अपर गंगा कैनाल पर मरम्मत एवम् पुर्नरूद्धार कार्य :</u> अपर गंगा कैनाल के पुनरूद्धार व मरम्मत के लिए सिंचाई विभाग ने लगभग 807 करोड़ रूपये का कार्य प्रस्तावित किया है जिस पर रूड़की आई0आई0टी0 ने अपनी संस्तुति व्यक्त की है। अपर गंगा कैनाल पर मरम्मत एवम् पुनर्उद्धार का कार्य कन्सेशनायर द्वारा अपने व्यय पर 36 माह में किया जाना प्रस्तावित है तथा इस कार्य को सिंचाई विभाग की देख-रेख में किया जाना प्रस्तावित है। इस कार्य के लिए सिंचाई विभाग एक स्वतंत्र इंजीनियर के रूप में कार्य करेगा। कार्य की समाप्ति के बाद इसके रख-रखाव की जिम्मेदारी सिंचाई विभाग की होगी।

(II) <u>स्थानीय ट्रैफिक/सर्विस रोड :</u> स्थानीय निवासियों को ट्रैफिक की सुविधा हेतु कन्सेशनायर द्वारा लगभग 97 किमी0 सर्विस रोड का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। सर्विस रोड निर्माण हेतु व्यय कन्सेशनायर द्वारा वहन किया जायेगा। परियोजना में देहरा से सनौटा तक कि0मी0 177.50 से कि0मी0 197.35 के मध्य सर्विस रोड निर्माण हेतु लगभग 29.34 हे0 भूमि

सिंचाई विभाग द्वारा यूपीडा को निःशुल्क उपलब्ध कराई जायेगी जिस पर कोई भी स्टैम्प शुल्क देय नहीं होगा। सर्विस रोड निर्माण हेतु शेष भूमि लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 द्वारा अर्जित कर विकासकर्ता को उपलब्ध कराई जायेगी। भूमि अर्जन का व्यय लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 द्वारा वहन किया जाना प्रस्तावित है। सर्विस रोड का निर्माण करने के बाद कन्सेशनायर इसे लोक निर्माण विभाग उ0प्र0 को हस्तांतरित कर देगा। उसके बाद इसके रख-रखाव की समस्त जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 की होगी। सर्विस रोड में ट्रैफिक से कोई टोल चार्ज नही लिया जायेगा।

(III) <u>एन0एच0 एवम् रेलवे ब्रिजेज को उठाना (रेज़िंग):</u> अपर गंगा कैनाल में जल परिवहन के लिए इस परियोजना के सरंखेण में आने वाले तीन एन0एच0 ब्रिज और तीन रेलवे ब्रिजेज को क्लास-II जल परिवहन के लिए फुल सप्लाई लेवल से 5 मीटर हेड रूम उपलब्ध कराने के लिए ऊपर उठाना जरूरी होगा। अगर कन्सेशनायर अपर गंगा कैनाल में जल परिवहन का अधिकार चयन करता है तो इसका निर्माण लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 54 महीने में अपनी देख-रेख एवम् अपने व्यय पर भारत सरकार (एन0एच0ए0आई0 और रेल मंत्रालय) से क्लीयरेंस मिलने के बाद करायेगा।

(IV) <u>ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के कार्य :-</u> इस परियोजना के लिए ग्राम जार्चा (जिला-गौतमबुद्धनगर) तथा सनौटा (जिला-बुलंदशहर) पर एवम् ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे से अपर गंगा कैनाल एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाले इंटरचेंजेज और परीचौक से जार्चा तक मास्टर प्लान रोड का निमार्ण कार्य ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी द्वारा अपने व्यय पर कराया जाना प्रस्तावित है। इसके लिए ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने अपनी सैद्धान्तिक सहमति दी है।

(12) <u>यूपीडा को अधिकृत किया जाना</u>:-उपरोक्त समग्र परियोजना के विकास एवम् क्रियान्वयन के सम्बन्ध में यूपीडा, लखनऊ को 'पी0पी0पी0 नीति' के अनुसार कार्यान्वित करने के लिए समय-समय पर शासन द्वारा अधिकृत किया गया है। इसके क्रम में यूपीडा द्वारा पी0पी0पी0 नीति के अनुसार विकासकर्ता/कन्सेशनायर के साथ आवश्यक करार संविदा व कन्सेशन करार का निष्पादन किया जाना है। कन्सेशन करार में ग्रेटर नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी, उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लि0 और उत्तर प्रदेश वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान 'कनफर्मिंग पार्टी' प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश शासन के सभी सम्बन्धित विभागों द्वारा परियोजना के क्रियान्वयन में यूपीडा को पूर्ण सहयोग प्रदान किया जायेगा।

(13) <u>पी0पी0पी0 मॉनीटरिंग कमेटी:</u>- उपर्युक्त परियोजना के विकास कार्यों का निरीक्षण,देख-रेख, अनुश्रवण आदि का कार्य उत्तर प्रदेश पी0पी0पी0 नीति के अन्तर्गत गठित पी0पी0पी0 मॉनीटरिंग कमेटी करेगी।

(14) <u>यूपीडा का क्षेत्र :-</u> इस परियोजना के अन्तर्गत अपर गंगा कैनाल के बांये तट से नहर के दायें तट के पश्चात यूपीडा के आर0ओ0डब्ल्यू0 तथा उससे सटी हुई लोक निर्माण विभाग की सर्विस रोड के बाद लगभग 10 मीटर चौड़ाई तक यूपीडा का क्षेत्र घोषित किया जायेगा।

(15) <u>परियोजना की लागत:</u> परियोजना की अनुमानित लागत का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :

- **परियोजना की कुल अनुमानित लागत जल परिवहन सुविधारहित - रू0 8266 करोड़**
- **परियोजना की कुल अनुमानित लागत जल परिवहन सुविधासहित- रू0 8719 करोड़**

(16) <u>वित्तीय वायबिलिटी</u> : परियोजना की वायबिलिटी को सुदृढ़ता प्रदान करने हेतु टोल के अतिरिक्त अपर गंगा कैनाल में स्थित और प्रस्तावित नीरगजनी, जौली, चित्तौड़ा, सलावा, भोला, डासना और जानी स्केप जल विद्युत परियोजनाओं का विकास/संचालन एवम् कैनाल पर जल परिवहन का वैकल्पिक अधिकार एवम् कैनाल के तट पर स्थित सिंचाई विभाग के निरीक्षण भवन के पास व अन्य स्थलों पर

उपलब्ध अतिरिक्त भूमि कन्सेशनायर द्वारा वाटर पार्क, पर्यटन, परिवहन मार्गीय सुविधाओं अन्य सम्बन्धित गतिविधियों व आवासीय वाणिज्यिक विकास के उपयोगार्थ परियोजना का भाग माने जाने का निर्णय लिया गया है और विकासकर्ता को उक्त भूखण्डों पर विकास के अधिकार दिया जाना प्रस्तावित है। जिसमें सब-लीज/किराया आदि पर दिये जाने का अधिकार सम्मिलित होगा।

(17) <u>निजी विकासकर्ता का चयन :</u> चयन प्रतिस्पर्द्धात्मक बिडिंग पर आधारित होगा। इसके लिए सभी प्रोजेक्ट पैरामीटर्स यथा-कन्सेशन पीरियड, लीज पीरियड, टोल रेट तथा तकनीकी आउटपुट पैरामीटर आदि पूर्व निर्धारित हैं तथा प्रि-क्वालिफाइड बिडर्स द्वारा द्वितीय चरण की बिडिंग में निगेटिव ग्रान्ट अथवा ऐसा न होने पर ऐच्छिक लैण्ड पार्सल हेतु चिन्हित भूमि में से डेवलपमेंट राइट्स हेतु चुनी हुई भूमि के मूल्यांकन पर बिड प्रस्तुत की जायेगी, जो बिडर अधिकतम निगेटिव ग्रान्ट देगा वही एवार्ड हेतु पात्र होगा। ऐसा न होने की स्थिति में न्यूनतम भूमि मूल्यांकन की मांग करने वाला एवार्ड का पात्र होगा।

(18) <u>पुनर्वास एवम् पुनर्स्थापन नीति (आर एण्ड आर पालिसी):</u> परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण आदि के फलस्वरूप प्रभावित व्यक्तियों की अचल सम्पत्ति एवम् जीविका/आय के अवसरों की हानि संभावित है और साथ ही कुछ स्थानों पर सार्वजनिक परिसम्पत्ति आदि प्रभावित हो सकती है। अतः यह सुनिश्चित करने के लिए कि विस्थापित एवम् प्रभावित व्यक्तियों का उपयुक्त पुर्नवास एवम् पुर्नस्थापन हो, समुचित सहायता दिये जाने हेतु आर0 एण्ड आर0 नीति निर्धारित की गई है। पूर्व एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए निर्गत की गई आर0 एण्ड आर0 नीति को और संतुलित करते हुए इस नीति के अन्तर्गत विस्थापित परिवार, प्रभावित परिवार, एवम् परिवार तथा एकल परिवार को आवास, रोजगार, वित्तीय सहायताएँ एवम् अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाएँ दिया जाना प्रस्तावित है। इस सम्बन्ध में आने वाला समस्त व्यय कन्सेशनायर द्वारा वहन किया जायेगा।

(19) <u>छूट एवम् रियायतें</u>:- इस परियोजना के लिए सिंचाई विभाग द्वारा लगभग कुल 867 हे0 भूमि यूपीडा को निःशुल्क हस्तांतरित किये जाने का प्रावधान है। इसके लिए स्टैम्प डयूटी देय नही होगी और यह भूमि विकासकर्ता को निःशुल्क दिये जाने का प्रावधान है। विकासकर्ता को इस परियोजना में जल विद्युत परियोजना और जल परिवहन के लिए क्लीन डेवलपमेंट मकैनिज्म (सी0डी0एम0) के लाभ, औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना 2003 के अन्तर्गत टैक्स में छूट, औद्योगिक विकास विभाग के शासनादेश सं0 1820/77-3-09-286एन/07 दिनांक 22.05.2009 के अनुसार छूट/सुविधा और कर निबन्धन विभाग के अधिसूचना सं0 वी0क0नि0 5-4513/11-2007-500 (22)/2003 दिनांक 17.11.2007 एवं अधिसूचना सं0 3065/11-5-2009-500(22)/2003 दिनांक 12.06.2009 के अनुसार स्टैम्प डयूटी में छूट और समय-समय पर इस पर संशोधन के अनुसार छूट/रियायत दिया जाना प्रस्तावित है। इस परियोजना के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत अनुमन्य छूट, रियायतों एवम् सुविधा का लाभ अनुमन्य होगा।

(20) परियोजना को समय से पूरा करने हेतु निम्नलिखित सारणी को आर0एफ0पी0 डाक्यूमेंट में सम्मिलित किये गये हैं :-

समय सीमा-भूमि पार्सल को अवमुक्त किया जाना व प्रदत्त किये जाने वाले अधिकार

क्र.सं.	चरण	पूर्व आवश्यक पात्रता	परिणामस्वरूप लाभ
1	**चरण 1** कन्सेशन अनुबन्ध करने के पहले की शर्त	i परफार्मेन्स सिक्योरिटी का जमा करना, और ii परियोजना के विकास शुल्क और सफलता शुल्क का भुगतान, और iii वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग के आवश्यक व्यय के लिए अग्रिम धन जमा करना	कन्सेशन अनुबन्ध का निष्पादन
2	**चरण 2** नियत (अपॉईन्टेड) तिथि के पूर्व	विकासकर्ता द्वारा प्रस्तुत की वित्तीय बोली के आधार पर :- I) बिड राशि (निगेटिव ग्रान्ट) का 20% या चयनित ऐच्छिक लैण्ड पार्सल के अधिग्रहण की लागत का 20% और ii) यूजीसी एक्सप्रेसवे और लिंक एक्सप्रेस के निर्माण के लिए अतिरिक्त भूमि हेतु अधिग्रहण लागत का 20%	I) पर्यावरण एवम् वन मंत्रालय और वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग के क्लीयरेंस पर सुनिश्चित लैण्ड पार्सल के लिए लाइसेंस अधिकार II) पर्यावरण एवम् वन मंत्रालय और वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग के क्लीयरेंस पर यूजीसी एक्सप्रेसवे, जल विद्युत परियोजना और जल परिवहन सुविधाओं के लिए यूपीडा के पास मौजूद आर0ओ0डब्ल्यू0 लैण्ड का हस्तांतरण
3	**चरण 3** नियत (अपॉईन्टेड) तिथि से 9 माह नियत (अपॉईन्टेड) तिथि से 9 माह/सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई मांग की तारीख से 15 दिन के भीतर वित्तीय बोली के अनुसार बिड राशि (निगेटिव ग्रान्ट) के मामले में अपॉईन्टेड तिथि से 9 माह तक करार नियमावली/भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अनुसार भूमि अधिग्रहण कलेक्टर द्वारा उठाए मांग के 15 दिनों के भीतर	i)यूजीसी एक्सप्रेसवे परियोजना पर 750 करोड़ रूपये के बराबर खर्च पर स्वतंत्र इंजीनियर का प्रमाणन और सक्षम अधिकारी का अनुमोदन, और ii)आर एंड आर के लिए भुगतान, और iii) विकासकर्ता द्वारा प्रस्तुत वित्तीय बोली के आधार पर; बिड राशि (निगेटिव ग्रान्ट) का 80% या चयनित ऐच्छिक लैण्ड पार्सल के अधिग्रहण की शेष लागत	i) सुनिश्चित लैण्ड पार्सल पर लीज अधिकार ii)वित्तीय बोली के आधार पर चयनित ऐच्छिक लैण्ड पार्सल के यूपीडा द्वारा अधिग्रहण के पश्चात 50% लैण्ड पार्सल पर लीज अधिकार। iii)किसी भी अवशिष्ट भूमि पार्सल जिसके लिए चरण 3 में लीज अधिकार नहीं दिया गया है उन्हें चरण 4 में दिया जायेगा।

		और IV) यूजीसी एक्सप्रेसवे और लिंक एक्सप्रेस के निर्माण के लिए अतिरिक्त भूमि हेतु अधिग्रहण लागत का शेष 80%	
4	**चरण 4** नियत (अपॉईन्टेड) तिथि से 24 महीने	यूजीसी एक्सप्रेसवे, लिंक एक्सप्रेस, जल विद्युत परियोजना और जल परिवहन सुविधाओं पर 1000 करोड़ के रुपये के बराबर वित्तीय प्रगति (फाइनेंनसियल प्रोग्रेस) पर स्वतंत्रत इंजीनियर का प्रमाणन और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन	i) वित्तीय बोली के आधार पर चयनित ऐच्छिक लैण्ड पार्सल के यूपीडा द्वारा अधिग्रहण के पश्चात शेष लैण्ड पार्सल पर लीज अधिकार। ii) किसी भी अवशिष्ट भूमि पार्सल जिसके लिए चरण 3 में लीज अधिकार नहीं दिया गया है उन्हें चरण 4 में दिया जायेगा।

(21) <u>नियत (अपॉईन्टेड) तिथि :-</u> परियोजना के लिए सम्भावित नियत (अपॉईन्टेड) तिथि 01.04.2011 है।

(22) <u>सिंचाई विभाग से सम्बन्धित बिन्दु :</u>

(क) इस परियोजना के अन्तर्गत ऊपरी गंगा नहर के बांये तट से नहर के दांये तट के पश्चात यूपीडा के आर0ओ0डब्लू0 तथा इससे सटी हुई लोक निर्माण विभाग की सर्विस रोड के बाद लगभग 10 मीटर चौड़ाई तक यूपीडा का क्षेत्र घोषित किया जाना प्रस्तावित है इस प्रकार नहरी क्षेत्र भी इसकी परिधि में आयेगा। यूपीडा एवम् सिंचाई विभाग के मध्य ऐसी व्यवस्था की जायेगी कि परस्पर हितों की सुरक्षा हो।

(ख) ऊपरी गंगा नहर पर 07 स्थलों पर सिंचाई विभाग की आवश्यकता से अधिक भूमि लैण्ड पार्सल के रूप में दी जानी प्रस्तावित है। सिंचाई विभाग ने अपनी आवश्यकता हेतु 4-5 हेटक्येर भूमि प्रत्येक स्थल पर रोक ली है। विस्तृत नियोजन के समय यदि कोई भूमि किसी संरचना में आती है तो यूपीडा तथा सिंचाई विभाग द्वारा आपसी सहमति से भूमि की अदला-बदली की जाएगी।

(ग) ड्राफ्ट कन्सेशन एग्रीमेन्ट के शिड्यूल-'जी' में कैनाल मरम्मत एवं पुनरूद्धार कार्यों हेतु अंकित समय सारणी का पालन कन्सेशनायर द्वारा किया जाना होगा।

(घ) टिकरी डिस्ट्रीब्यूटरी आदि के सम्बन्ध में : परियोजना के राईट आफ वे में पड़ने वाली टिकरी डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल, सीपेज एवं स्टार्म वाटर ड्रेन को सिंचाई विभाग एवं इन्डिपेन्डेन्ट इंजीनियर के परामर्श से कन्सेशनायर द्वारा एक्सप्रेसवे ड्रेन के अनुसार शिफ्ट/रिटेन्ड/मोडीफाईड/एक्मोडेट किया जायेगा।

(ड़) सिंचाई विभाग की परियोजना से आच्छादित 872.873 हे0 भूमि का सम्पूर्ण विवरण **संलग्नक-1** पर दर्शाया गया है।

2- उपर्युक्त के सम्बन्ध में औद्योगिक विकास अनुभाग-3, उ0प्र0शासन द्वारा इसके पूर्व समय-समय पर जारी तद्विषयक शासनादेश/कार्यालय-ज्ञाप/अधिसूचना उपर्युक्तानुसार वर्णित व्यवस्था/प्राविधान की सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

3- उपर्युक्तानुसार वर्णित व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में अनुरोध है कि उक्त परियोजना के क्रियान्वयन व संचालन में शासन के सभी सम्बन्धित विभाग यूपीडा को यथावांछित सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करें, ताकि प्रदेश की यह महत्वपूर्ण परियोजना समय से पूर्ण हो तथा प्रदेशवासियों को इसका अपेक्षित लाभ प्राप्त हो सके।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(वी.एन.गर्ग)
प्रमुख सचिव।

संख्या-2281 (1)/77-3-10-71(अवस्थापना)/08-तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नौएडा जनपद-गौतमबुद्धनगर।
2- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, लखनऊ।
3- निदेशक,नेडा, गोमतीनगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
4- मण्डलायुक्त, मेरठ मण्डल/सहारनपुर मण्डल।
5- जिलाधिकारी-बुलन्दशहर, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, मेरठ एवं गौतमबुद्धनगर।
6- अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, लखनऊ।
7- प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
8- गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(वी.एन.गर्ग)
प्रमुख सचिव

Details of the total project area and area under protected forest in the 8-Lane Express Way project on Upper Ganga Canal

Sr No	Item	Total Area	Total Area (Hect)	District Wise Area (Hect)				
				Muzaffernager	Meerut	Ghaziabad	Gautam Budh Nager	Bullandshahr
1	Right of Way from Purkaji , District Muzaffernager (U.P.-Uttranchal border) to Sanota ,District Bullandshahr,(km 51.286 to km 199.35)	Project Area	655.093	244.035	184.758	183.05	20.21	23.04
		Protected Area	*615.43*	*244.035*	*184.758*	*163.424*	*11.264*	*12.262*
2	Spare land available at seven locations of Upper Ganga Canal (Tuglakpur, Nirgazani, Jauli, Chittora, Salava ,Bhola and Dasana)	Project Area	188.435	9.558+32.487 +27.403+20.869 =90.317	58.932+ 9.0 =67.932	30.186	-	-
		Protected Area	*150.925*	*24.477+27.403+ 13.176 = 65.056*	*46.683+ 9.0=55.683*	*30.186*	=	=
3	Service road between Dehra to Sanota on common bank of Upper Ganga Canal and Parallel Upper Ganga Canal,(km 177.50 to km 199.35)	Project Area	29.345	-	-	14.14	7.05	8.155
		Protected Area	*16.81*	=	=	*8.077*	*4.042*	*4.69*
	Total	Project Area	**872.873**	**334.352**	**252.69**	**227.376**	**27.26**	**31.195**
	Total	*Protected Area*	*783.478*	*309.091*	*240.441*	*201.689*	*15.306*	*16.952*

(A.P.Singh)
Executive Engineer
Meerut Division Ganga Canal
Meerut

S.E. (I&PC-III)

Details of the area under the 8-Lane Express Way project in the (A) Right of Way from Purkaji , District Muzaffernager (U.P.-Uttranchal border) to Sanota ,District Bullandshahr, (B) Assured Land Parcels at seven locations, and for (C) Service road between Dehra to Sanota on common bank of Upper Ganga Canal and Parallel Upper Ganga Canal (Page-2)

Sr No	Name of the Division	District	Location/Name of the Place	Spare land excluding Irrigation Dept requirement (Hect.)	Land required by Irrigation Dept for connection of the Distributaries to UGC (Hect.)	Land required by the Navigation Channel (Hect.)	Area required for the Hydro Electric Projeacts (Hect)	Area available fore the developmental activities (Hect)	Area under protected forest (Hect)
(B) For Assured Land Parcels on the upper Ganga Canal at seven locations									
1	Muzaffernager Division Ganga Canal	Muzaffernager	Tuglakpur	9.558	-	9.558	-	-	-
2	--do--	Muzaffernager	Nirgazni	32.487	-	8.0	6.0	18.487	32.487-8.01= 24.477
3	--do--	Muzaffernager	Jauli	27.403	1.0	8.0	6.0	12.403	27.403
4	Meerut Division Ganga Canal	Muzaffernager	Chittora	20.869	1.0	8.0	6.0	5.869	20.869-7.693= 13.176
5	--do--	Meerut	Salava	58.932	1.5	8.0	6.0	43.432	58.932-12.249= 46.683
6	--do--	Meerut	Bhola	9.000	1.0	6.0	-	2.0	9.0
7	Bullandshahr Division Ganga Canal	Ghaziabad	Dasana	30.186	1.0	8.0	6.0	15.186	30.186
			Total	*188.435*	*5.0*	*55.558*	*30*	*97.377*	*150.925*

(A.P.Singh)
Executive Engineer
Meerut Division Ganga Canal
Meerut

S.E. (I&PC-III)

Mee

Details of the area under the 8-Lane Express Way project in the (A) Right of Way from Purkaji , District Muzaffernager (U.P.-Uttranchal border) to Sanota ,District Bullandshahr, (B) Assured Land Parcels at seven locations, and for (C) Service road between Dehra to Sanota on common bank of Upper Ganga Canal and Parallel Upper Ganga Canal (Page-3)

Sr No	Name of the Division	District	Chainage of Canal (KM)		Length (KM)	Total Area Propsed for Service Road (Hect)	Area under protected forest (Hect)	Remark
			From	To				
(C) For Right of Way for Service road between Dehra to Sanota on Common bank of PUGC and UGC								
1	Bullandshahr Division Ganga Canal	Ghaziabad	177.500 (Dehra)	180.20	2.7	4.00	2.272	
2	--do--	Ghaziabad	181.70	186.3	4.6	6.751	3.742	
3	--do--	Ghaziabad	189.5	191.9	2.4	3.60	2.064	
	Total of Dist Ghaziabad				*9.7*	*14.14*	*8.078*	
5	--do--	Gautam Budh Nager	180.2	181.7	1.5	2.25	1.29	
5	--do--	--do--	186.3	189.5	3.2	4.8	2.752	
	Total of Dist Gautam Budh Nager				*4.7*	*7.05*	*4.042*	
6	--do--	Bullandshahr	191.9	197.35 (Sanota)	5.45	8.175	4.69	
	Total of Dist Bullandshahr				*5.45*	*8.155*	*4.69*	
	Grand Total between Dehra to Sanota				*19.85*	*29.345*	*16.81*	

(A.P.Singh)
Executive Engineer
Meerut Division Ganga Canal
Meerut

Mee

Details of the area under the 8-Lane Express Way project in the (A) Right of Way from Purkaji , District Muzaffernager (U.P.-Uttranchal border) to Sanota ,District Bullandshahr, (B) Assured Land Parcels at seven locations, and for (C) Service road between Dehra to Sanota on common bank of Upper Ganga Canal and Parallel Upper Ganga Canal (Page-3)

Sr No	Name of the Division	District	Chainage of Canal (KM)		Length (KM)	Total Area Propsed for Service Road (Hect)	Area under protected forest (Hect)	Remark
			From	To				
(C) For Right of Way for Service road between Dehra to Sanota on Common bank of PUGC and UGC								
1	Bullandshahr Division Ganga Canal	Ghaziabad	177.500 (Dehra)	180.20	2.7	4.00	2.272	
2	--do--	Ghaziabad	181.70	186.3	4.6	6.751	3.742	
3	--do--	Ghaziabad	189.5	191.9	2.4	3.60	2.064	
	Total of Dist Ghaziabad				*9.7*	*14.14*	*8.078*	
5	--do--	Gautam Budh Nager	180.2	181.7	1.5	2.25	1.29	
5	--do--	--do--	186.3	189.5	3.2	4.8	2.752	
	Total of Dist Gautam Budh Nager				*4.7*	*7.05*	*4.042*	
6	--do--	Bullandshahr	191.9	197.35 (Sanota)	5.45	8.175	4.69	
	Total of Dist Bullandshahr				*5.45*	*8.155*	*4.69*	
	Grand Total between Dehra to Sanota				*19.85*	*29.345*	*16.81*	

(A.P.Singh)
Executive Engineer
Meerut Division Ganga Canal
Meerut